यालय उपखण्ड.............................कठूमर जिला अलवर

12/4/18
26-7-18

तारीख रजू...........................

चमेली वगैरा **बनाम** ग्राम पंचायत गढ़ी[illegible]

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]/7/18	वकील अपीलान्ट उपस्थित। पट इंतकाल अपील वकील अपीलान्ट ने पेश किया। उपरोक्त दर्ज हो। रेस्पोन्डेन्ट को सम्मन तलब हो और पत्रावली दिनांक 6.8.18 को पेश हो। SDO [illegible]	2732 / 1/8/18
15/11/18	पत्रावली आज पेश हुई। बकुलाय केरीकेन उप०/P.O. साहब 24-11-18 को [illegible] पत्रावली दिनांक 17/1/19 को पेश हो। रेस्पो०2 की ओर से श्री रतन सिंह राजपूत एड० ने वकालतनामा पेश किया [illegible]	[illegible]
	बकुलाय केरीकेन उप०/P.O. साहब.............. पत्रावली दिनांक.............. को पेश हो।	
17.1.19	बकुलाय पक्षकारान उपस्थित। सार्थिक आदेश दिनांक.... 26.9.18 .... की पालना में पत्रावली वास्ते.... [illegible] .... दिनांक.... 8/2/19 .... को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
8/2/19	[illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली दिनांक 22/2/19 को पेश हो। [signature] उप जिला कलेक्टर कठूमर (अलवर)	

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/7/22	......वकील......उपस्थित सम्बन्धित आदेश दिनांक......29.11.19...... की पालना में पक्ष . के वास्ते......बहस...... दिनांक......22/7/22......को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
	22/7/22 मुताबिक केसोफन व0/P.O. वाहन ...[illegible]... रवानगी दिनांक 23/9/22 को पेश हो। (ह०)	
23/9/22	......वकील......उपस्थित सम्बन्धित आदेश दिनांक...... की पालना में पक्ष . के वास्ते......बहस...... दिनांक......7/10/22......को पेश हो। (ह०) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
7/10/22	वकील उपस्थित। अपील प्रा०पत्र पर बहस वकील सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/10/22 को पेश हो (ह०) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
13.10.22	वकीलान उपस्थित आये। अपील अपीलार्थी की स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला [illegible] (ह०) [illegible] (ह०) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिह गुर्जर आर ए एस

राजस्वअपील संख्या 12/4/2018

वउनवान

1. चमेली पुत्री नवला पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी सेडूकानगला तहसील कठूमर हालवासी ग्रम बरोलीछार तहसील नदबई
2. लच्छों पुत्री नवला जाति ब्राहमण निवासी सेढूकानगला तहसील नदबई मसारी तहसील कठूमर हालवासी नगर जिला भरतपुर
3. मन्नी पुत्री नवला पत्नी रमेश जाति ब्राहमण निवासी सेढूकानगला तहसीलकठूमर हालवासी मसारी तहसील कठूमर

------अपीलाण्टस

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत टिटपुरी पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत टिटपुरी तहसील कठूमर
2. बालचन्द पुत्र नवला जाति ब्राहमण निवासी सेढूकानगला
3. सम्पतराम पुत्र. नवला जाति ब्राहमण निवासी सेढूकानगला तहसील कठूमर जिला अलवर
4. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

------ रेस्पोडेण्टस

अपीलविरूद्व इन्तकाल संख्या 146 ग्रामसेढूकानगला

आज्ञा दिनांक 30.12.1999 ग्राम पंचायत टिटपुरी

उपस्थित :–

श्री सुभाष चन्द शर्मा– अपीलाण्टस की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.10.2022

संक्षिप्त तथ्य अपील अपीलाण्टस इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 39, 48, 51, 52, 83, 89, 149, 170, 188, 189, 209, 210, 211

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

किता 13 रकवा 41 वीघा 14 विस्वा खसरा नम्बर 116, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 166, 118 किता 12 रकवा 11 रकवा 5 वीघा 5 विस्वा हिस्सा 2 खसरा नम्बर 64, 65, 70, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84 किता 12 रकवा 11 वीघा 18 विस्वा का 1/4 हिस्सा ग्राम सेढूकानगला तहसील कठूमर में स्थित है जो आराजी अपीलाण्टस के पिता नवला पुत्र चिरंजी जाति ब्राहमण निवासी सेढूकानगला तहसील कठूमर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। अपीलाण्टस ने मृतक नवला का सजरा अंकित किया है। नवला का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलाण्टस मृतक नवला के वारिसान है व एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। नवला के दो पुत्र बालचन्द, सम्पतराम व तीन पुत्री चमेली, लच्छो व मन्नी पैदा हुये। अपीलाण्टस का मृतक नवला पिता लगता है। अपीलाण्टस के पिता नवला के स्वर्गवास हो जाने के वाद पटवारी हल्का ने इन्तकाल सं0 146 वाके ग्राम सेढूकानगला मृतक के सभी वारिसान की जानकारी किये विना ही रेस्पो0 सं0 2–3 के हक में वहिस्सा बराबर फैसल कर दिया। जवकि प्रार्थीयान भी मृतक नवला की पुत्री है तथा वारिस काविज जायदाद है। नवला के मरने के वाद उसकी खातेदारी की आराजी में 3/5 हिस्सा अपीलाण्टस को व 2/5 हिस्सा रेस्पो0 को विरासत में प्राप्त हुआ है। कानूनन व हिन्दु उत्तराधिकार के प्रावधानों के तहत खातेदार के स्वर्गवास हो जाने पर उसका हिस्सा उसके सभी पुत्र पुत्रियों को बहिस्सा बराबर विरासत में मिलता है। विवादित आराजी मे 2/5 हिस्सा रेस्पो0 सं0 2–3 का है व 3/5 हिस्सा अपीलाण्टस का है। रेस्पो0 सं0 1 को मृतक के सभी वारिसान की जांच कर ही विरासत इन्तकाल फैसल करना चाहिए था। उक्त दोशपूर्ण इन्तकाल सं0 146 वाके ग्राम सेढूकानगला ग्राम पंचायत टिटपुरी ने अपीलाण्टस को विना सुने विना वुलाये मनमाने तरीके से खिलाफ कानून व खिलाफ मौका केवल दोनों पुत्रों के नाम से स्वीकार कर भारी कानूनी भूल की है। जिस दोशपूर्ण इन्तकाल की प्रथम वार जानकारी दिनांक 14.07.2018 को उस समय हुई जव अपीलाण्ट पटवारी हल्का के पास अपनी खातेदारी की आराजी पर किसान केडिट कार्ड की फाइल बनवाने गये तव पटवारी हल्का ने रेकार्ड रेखकर बताया कि नवला का विरासत इन्तकाल केवल दो पुत्रों के नाम स्वीकार हुआ है पुत्रियों के नाम दर्ज नहीं हुआ। तव जानकारी होने पर अपीलाण्टस ने दोशपूर्ण इन्तकाल की

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

नकल लेकर रेस्पो0 से अपने नाम 3/5 हिस्सा दर्ज कराने वावत कहा तो रेस्पो0 ने मना कर दिया। अतः दिनांक 30.12.1999 से दिनांक 25.07.2018 तक की अवधि को कण्डोन किये जाने का उचित कारण है। जिसके लिये अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपीलाण्टस ने पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्टस अन्दर मियाद भुमार की जाकर अपीलाण्टस ने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को जरिये सम्मन तलवकिया गया।

रेस्पोडेण्ट सं0 1 बाबजूद तामील दिनांक 29.11.2019 को हाजिर नहीं आया उसके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो0 सं0 4 उपस्थित आया। जो जवाव देना नहीं चाहता। रेस्पो0 सं0 3 का दिनांक 05.02. 2021 को जवाव बन्द किया गया। रेस्पो0 सं0 2 ने हाजिर अदालत होकर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाव पेश कर कथन किया कि विरासत इन्तकाल स्वीकार हुये 20 साल हो चुके है। 20 साल में अपीलाण्टस ग्राम सेढूकानगला आती जाती रही है विरासत इन्तकाल की अपीलाण्टस को पूर्व से ही जानकारी है। अपीलाण्टस शादी शुदा है। विरासत इन्तकाल ग्राम पंचायत ने अपीलाण्टस की सहमति से फैसल किया गया है। सन् 2005 में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन होने से पूर्व शादी शुदा लडकियों की मात्र सहमति ही काफी थी उनके द्वारा कोई तर्कनामा की आव यकता नहीं थी। सन् 2005 से पूर्व शादी शुदा लडकियों का कानून में कोई हिस्सा नहीं माना गया है। पिता के मरने के वाद अपीलाण्टस का कोई कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र में देरी का कोई उचित कारण भी नहीं दिया है। देरी को कण्डोन किये जाने का कोई उचित कारण नहीं है प्रार्थना पत्र अपीलाण्टस खारिज किया जावे। पैरोकार सरकार ने अपना जवाव दिनांक 13.12.2019 को पेश किया जिसमें कथन किया गया है कि मृतक की पुत्रियों ने नाम जोडने का दावा किया है वो सही है।

अपीलाण्टस ने अपनी अपील के साथ जमाबन्दी सवत् 2071 से 2074 विरासत नामान्तकरण संख्या 146 वाके ग्राम सेडूकानगला व जमाबन्दी संवत् 2055 से 58 पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गई तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अपीलाण्टस रेस्पो0 के जवाव व छाया प्रति जमाबन्दी व सत्य प्रतिलिपी दोशपूर्ण विरासत इन्तकाल का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपनी अपील के तथ्यों को ही दोहराया है। वहस पर मनन किया गया। अपील के निर्णय से पहले हमें प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। अपीलाण्टस ने उक्त दोशपूर्ण इन्तकाल की जानकारी पटवारी हल्का के बताने पर होना जाहिर किया है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगतप्रकरण में अपील में देरी के विन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्टस अन्दर मियाद सुमार की जाती है।

उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की वहस सुनी गई। अपीलाण्टस की अपील के मुख्य विन्दु अपीलाण्टस नवला की सगी पुत्री है तथा नवला के विरासत इन्तकाल संख्या 146 वाके ग्राम सेढूकानगला में अपीलाण्टस का नाम दर्ज करने से छोडना है। पत्रावली के तथ्यों से यह पाया गया है कि नवला के पांच वारिस अपीलाण्टस तीन वहनें व रेस्पो0 सं0 2–3 दो पुत्र पांच कानूनी वारिस है जिनका सजरा अपीलाण्टस ने अपील के जिमन नं0 2 मे अंकित किया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक खातेदार की आराजी में उसके प्रत्येक पुत्र पुत्री का समान हिस्सा विरासत में प्राप्त होता है। इन्तकाल संख्या 146 वाके ग्राम सेढूकानगला के अवलोकन से रेस्पो0 ने मृतक नवला का विरासत इन्तकाल केवल दो पुत्रों के नाम स्वीकार किया है लडकियों का नाम छोड दिया है। अपीलाण्टस नवला की सगी पुत्रियां है रेस्पो0 ने अपने जवाव में स्वीकार किया है अथवा अपीलाण्टस मृतक नवला की सगी पुत्रिया न हो इस तरह का रेस्पो0 ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। पैरोकार सरकार ने जवाव पेश कर दोश पूर्ण इन्तकाल से सम्बन्धित आराजी में लडकियों के नाम जोडना सही बताया है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जवाव के अवलोकन व अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन करने पर अपीलाण्टस नवला की सगी पुत्रियां व वारिस काविज जायदाद है अपीलाण्टस द्वारा अपील

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

के जिमन नं0 2 में अंकित सजरा अखण्डित है। रेस्पो0 सं0 1 ने मृतक नवला का विरासत इन्तकाल अपीलाण्टस को विना सुने विना वुलाये ही स्वीकार किया जाना प्रतीत होता है। अतःइन्तकाल से प्रभावित आराजी में अपीलाण्टस का 3/5 हिस्सा बनता है। अपीलाण्टस के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से अपीलाण्टस की अपील सांवित है। अतः रेस्पो0 की आज्ञा दिनांक 30.12.1999 इन्तकाल संख्या 146 वाके ग्राम सेढूकानगला अपीलाण्टस को विना सुने मृतक के वारिसान के नामों की सही जांच किये विना स्वीकार करने की वजह से निरस्त किये जाकर इन्तकाल से प्रभावित हाल राजस्व रेकार्ड में नवला के नाम दर्ज आराजी में अपीलाण्टस के नाम 3/5 हिस्से पर दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकरइन्तकाल सं0 146 वाके ग्राम सेढूकानगलातहसील कठूमर से प्रभावित आराजी खसरा नम्बर 39, 48, 51, 52, 83, 89, 149, 170, 188, 189, 209, 210, 211 किता 13 रकवा 41 वीघा 14 विस्वा खसरा नम्बर 116, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 166, 118 किता 12 रकवा 11 रकवा 5 वीघा 5 विस्वा खसरा नम्बर 64, 65, 70, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84 वाके ग्राम सेढूकानगला तहसील कठूमर में मृतक नवला के हिस्सा की आराजी में अपीलाण्टस का 3/5 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। अपील अपीलाण्ट फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 13.10.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)